

9.5.2014

पत्रावली पेका डूरी/ वकील वकी 34 दिवत नही।
वकील वकी क काही स्वयं को वार-वार आवान
लगाने छिे नी दारिज नही। बाद वकी अदम
की व अदम हाजरी में खानीज छिया लागत है।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरीक
वकील लाहा दाखिल दफतर हो।

सहायक कमिश्नर एड
सपरान्त अधिकारी
रावणसर

